

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

पॉची

मुकाम

अजमेर

किस्म मुकदमा

आदेश 39 नियम 1 व 2 मुकदमा नम्बर 126/2012

बनाम अकिल व अन्य

रान

तारीख पेशी

श्री

हुकम या कार्यवाही

श्री

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

14.11.2019

पत्रावली पेश हुई। राजकीय परोकार उपस्थित। वकील वादी उपस्थित। राजकीय परोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 19.9.2013, 18.12.2013, 11.4.14, को प्रतिवादीगण 1 व 2 की तलबी हेतु सही पते के नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु वादी/वादी अधिवक्ता को आदेशित किया गया के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 19.9.2013, 18.12.2013, 11.4.14, को आदेशित किया गया कि प्रतिवादीगण की सही पते के नोटिस पेश करने हेतु बार बार आदेशित किए जाने के उपरान्त पालना नहीं किए जाने के कारण पुनः पालना हेतु निदेशित किया गया इसके बावजूद भी वादी/वादी अधिवक्ता को दिनांक 26.8.19 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में वादी का वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय परोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 19.9.2013, 18.12.2013, 11.4.14, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 26.8.2019 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रुचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थी अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी